

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता ( आर.ई. एण्ड टी डब्ल्यू )

क्र.जे.पी.डी/मु.अ. (आर.ई )/अ.अ(आर.ई. एण्ड टी डब्ल्यू)प.1201/प्रे 5149 दिनांक 10.3.10


आदेश

विषय :- निरस्त की गई कृषि कनैक्शन पत्रावलियों को पुर्नजीवित करने के सम्बन्ध में ।

निगम से जारी आदेश क्रमांक 4415 दिनांक 22.01.2010 (आ. ई. ओ. 210) में ऐसे आवेदकों जिनकी कृषि पत्रावलियों के मांग पत्र दिनांक 01.04.2007 एवं इसके बाद जारी हुए एवं जो किसी कारणवश मांग राशि जमा नहीं करवा सके एवं पत्रावलियां निरस्त हो गई है उन आवेदकों को मांग पत्र जमा करवाने हेतु एक अवसर ओर दिया गया था ।

उक्त निरस्त कृषि कनैक्शन पत्रावलियों की मांग पत्र की राशि जमा करवाने की दिनांक 16.02.2010 से 28.02.2010 तक थी ।

समन्वय समिती की दिनांक 05.03.2010 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में मांग पत्र की राशि जमा करवाने की अंतिम दिनांक 28.02.2010 को बढ़ाकर 31.03.2010 तक करने के आदेश दिये जाते है ।

  
(एम.एल.गुप्ता)  
मुख्य अभियन्ता (आर ई )  
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1-उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।

2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.  
जोधपुर ।

3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।